कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय।
पत्रांकःआर–[illegible]/जे0डी0/लखनऊ–13(जीएन) 109 दिनांकःमई ,2013
सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स एस0पी0 साई आई0टी0 प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–17 सेक्टर–टेंक जोन–4, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित कार्यालय /आवासीय एवं कामर्शियल भवन के निमार्ण हेतु संशोधित मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांकः 19–05–2013 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

**भवन की संरचनाः–**

प्लाट एरिया–1,00,020. 200 वर्ग मी0 जिनका टावर वाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

| कमांक | नाम टावर | तलों की संख्या | भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 | टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 | ऊँचाई मी0 मे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आई0टी0–1 | 02बेसमेन्ट,भूतल एवं 11 तल | 2174.290 | 1959.113 | 47.60 |
| 2 | आई0टी0–2 | 02बेसमेन्ट,भूतल एवं 18 तल | 2039.776 | 1877.331 | 75.60 |
| 3 | आई0टी0–3 एवं 04 | 02बेसमेन्ट,भूतल एवं 19 तल | 3664.189 | 3382.501 | 79.60 |
| 4 | आई0टी0–5 | 02बेसमेन्ट,भूतल एवं 21 तल | 1732.350 | 1360.270 | 90.75 |
| 5 | कामर्शियल–1 | 02बेसमेन्ट,भूतल एवं 02 तल | 5945.00 | 4072.00 | 10.80 |
| 6 | कामर्शियल–2/होटल | 02बेसमेन्ट,भूतल एवं 09 तल | 2705.729 | 4072.00 | 38.20 |
| 7 | आवासीय टावर–2 | 02बेसमेन्ट,भूतल एवं 18 तल | 1252.00 | 972.334 | 57.60 |

**बेसमेन्ट एरिया–** प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसका कवर्ड एरिया–1,17,916.00 वर्ग मी0 है।

**भवन का अधिभोग विवरणः–**

प्रस्तावित भवन का अधिभोग कामर्शियल/ होटल/आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ई0/ए0–4 व ए0–5) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**ढांचागत व्यवस्थाः–**

**1– पहुच मार्गः–** भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 30 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी 28 मी0 चौडा रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

**2– सैटबेकः–** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–25.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

**3– निकास मार्गः–** प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे न्यूनतम 02–02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 प्रस्तावित है. तथा बेसमेन्ट मे 02 रैम्प प्रस्तावित है निकास मार्गो की फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

**4–रिफ्यूज एरियाः–** भवन मे रिफयूज एरिया हेतु रिफयूज बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

**घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–** एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

**1–भूमिगतः–**प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
[illegible]

2–पम्पस:–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–**टेरिस टैंक**:–प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 एवं 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक व अनुसार वॉच्छनीय है।

4–**होजरील**:– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–**डाउनकामर**:– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–**वेटराईजर**:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–**यार्ड हाईड्रेण्टस**:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको व अनुसार वॉच्छनीय है।

8–**आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम**:– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–**आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**:– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मान के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–**मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम**:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**:– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुस वॉच्छनीय है।

12–**स्मोक एक्स्ट्रेक्शन**:– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–**एग्जिट साईनेज**:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

14–**पी0ए0 सिस्टम**:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–**हैलीपेड**:– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।

16–**प्रशिक्षित स्टॉफ**:– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफि एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

17–**वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था**:– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट त भवन का बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया ज एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सु लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन वि अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एस0पी0 साईं आई0टी0 प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–17 सेक्टर–टेंक जोन–4, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वार भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 ए तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

**संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।**

(पी0 के0 राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
लखनऊ, उ0प्र0।

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स एस0पी0 साईं आई0टी0 प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–17 सेक्टर–टेंक जोन–4, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।